न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 26/2019 जिला अलवर।

1. अणभा स्त्री मनफूल जाति जाटव निवासी जयसिंहपुरा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर, राजस्थान।
2. रामदास पुत्र मनफूल जाति जाटव निवासी जयसिंहपुरा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर, राजस्थान।
3. पप्पू पुत्र मनफूल जाति जाटव निवासी जयसिंहपुरा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर, राजस्थान।
4. जयन्ती पुत्र मनफूल जाति जाटव निवासी जयसिंहपुरा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर, राजस्थान।

अपीलान्टस्

बनाम

1. रामबाई पुत्री श्री हीरालाल स्त्री खेमचन्द जाति जटियया, जयसिंहपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर, राजस्थान हाल निवासी ग्राम पाटण तहसील फिरोजपुर झिरका, जिला मेवाज हरियाणा।
2. ग्राम पंचायत निजामनगर, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ जरिये सरंपच ग्राम पंचायत निजामनगर, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर, राजस्थान।
3. उप तहसीलदार बडोदामेव, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर, राजस्थान।

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर दिनांक 03.06.2015 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील 12/2002

उपस्थित–

1. अधिवक्ता अपीलान्ट श्री रामबाबू शर्मा।
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक–12.01.2022

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 03.06.2015 के खिलाफ दिनांक 27.07.2015 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मृतक खातेदार भोलूराम पुत्र मूलाराम की मृत्यु होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 79 तन ग्राम जयसिंहपुरा तह0 लक्ष्मणगढ दिनांक 18.09.1974 को ग्राम पंचायत निजामनगर द्वारा स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेंट् संख्या 01 रामबाई ने अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर में प्रस्तुत की गई।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा शीर्षक अपील रामबाई बनाम ग्राम पंचायत निजामनगर वगैराह को निर्णय दिनांक 03.06.2015 के द्वारा स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 79 वाके ग्राम जयसिंहपुरा दिनांक 18.09.1974 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार बडौदामेव जिला अलवर को इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया कि मृतक भौलूराम पुत्र मूलाराम जाति जटिया निवासी ग्राम जयसिंहपुरा के विधि वारिसान की समुचित जांच कर विधि अनुसार पुनः इंतकाल निर्णित करे।
4. न्यायालय उपखण्ड अधिकार लक्ष्मणगढ जिला अलवर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.06.2015 से व्यथित होकर अपीलांटस् के द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्टस् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.06.2015 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पॉडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से कोई उपरिथत नही हुआ। रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

6. अपीलांटस् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि इन्तकाल नम्बर 79 वाके ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर भोलूराम पुत्र मूलाराम कौम जटिया के खातेदार की मृत्यु के बाद विरासत उसके पुत्रान जवाली, मवासी, सोहनलाल, गुरगन पुत्रान भोलूराम व रामखिलाडी पुत्र हीरालाल पौत्र भौलूराम के नाम दर्ज किया गया था। रामखिलाडी का स्वर्गवास हो चुका है और हीरालाल का भी स्वर्गवास हो चुका है। अपील में अपीलांट रामबाई ने जवाली, मवासी, सोहनलाल व गुरगन को इन्तकाल नम्बर 79 को चैलेन्त करते हुये पक्षकार भी नही बनाया है। रामबाई ने 18.19.1974 के इन्तकाल को तारीख 23.02.2015 को अपील के जरिये 41 वर्ष बाद चुनौती दी हैं जो कि मियाद बाहर है। जिसको मियाद अन्दर लेने को कोई प्रयाप्त व उचित कारण भी नही बताया है। अपीलांटस के पक्ष में उक्त इंतकाल के बाद में विक्रय पत्र दिनांक 21.10.1989 के जरिये हीरालाल के द्वारा विक्रय करने कर आराजी का इन्तकाल खोला गया है। अपीलांट ने आराजी सदभाविक रूप से जरिये विक्रय लेख खरीद की है जिसको किसी भी प्रकार से चुनौती नही दी गई हैं। अपीलांट के हक में आराजी के बाबत अणभा पत्नि मनफूल जाति जाटव निवासी जयसिंहपुरा के द्वारा दान पत्र लिखा गया है जो रजिस्टर्डशुदा है। विक्रय लेख का इन्तकाल 335 अणभा के पक्ष में स्वीकार हो चुका है। अणभा ने दानपत्र के जरिये रामदास, जयन्ती व पप्पू के पक्ष में दिनांक 10.03.2014 को उपपंजीयक बडौदमेव में दानपत्र रजिस्टर्ड किया है। जिसका इन्तकाल नम्बर 1055 खोला गया है। रामबाई ने उक्त विक्रय पत्र को चुनौती देने का दावा रामबाई बनाम रामखिलाडी वगैराह दायर किया गया। उक्त दोनो विक्रय पत्र व दान पत्र के बाबत जो दावे दायर किये गये वह दावे स्वयं रामबाई ने खारीज करा लिये है। उससे स्पष्ट है कि वह दावा नही चलाना चाहती है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.05.2015 में स्पष्ट लेख है कि अपीलांट जो कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट थे उनको सूचित किया जाकर मुकदमा लोक अदालत में दिनांक 03.06.2015 को रखा जावे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नोटिस जारी होने का कोई लेख नही है और ना ही नोटिस जारी किये गये है। आराजी खसरा नम्बर 442, 363, 690/491 का इन्तकाल नम्बर 79 एक साथ तय किया गया है और उस इन्तकाल में जवाली, मवासी, सोहनलाल, गुरगन जब पक्षकार है तो बिना उनको पक्षकार बनाये सुनवाई करने का कोई क्षैत्राधिकार नही था। ऐसी सूरत में अपील अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विधि विरूद्ध पेश की गई है। ऐसी सूरत में अपील में जो आदेश पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा पारित आदेश 03.06.2015 निरस्त फरमाया जावे एवं इन्काल नम्बर 79 बहाल रखा जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2015 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट् खारीज की जावे।

8. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक खातेदार भोलूराम पुत्र मूलाराम के विरासत के नामान्तकरण संख्या 79 तन ग्राम जयसिंहपुरा तह0 लक्ष्मणगढ दिनांक 18.09.1974 के संबंध में है। रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर कथन किया कि भोलूराम पुत्र मूलाराम जाति जटिया निवासी जयसिंहपुरा वर्ष 1974 में फोत हो गया था। मृतक भोलूराम के जवाली, मवासी, गुरगन, सोहनलाल, हीरालाल पुत्र थे। हीरालाल के रामखिलाडी व रामबाई दो संतान है जिनमें से रामखिलाडी फौत हो चुका है। भोलूराम के मरने के बाद उसका विरासत इंतकाल

Scanned by CamScanner

संख्या 79 वाके ग्राम जयसिंहपुरा पटवारी हल्का ने दिनांक 12.09.1974 को दर्ज किया तथा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.09.1974 को तस्दीक किया जिस में मृतक भोलूराम का 1/5 हिस्से का विरासत इंतकाल संख्या 79 लडके रामखिलाडी के नाम तस्दीक कर दिया जबकि मृतक भोलूराम के विरासत इंतकाल में 1/10 भाग लडके रामखिलाडी व 1/10 भाग अपीलांट के नाम दर्ज तस्दीक होना चाहिये था। जिसे निरस्त कर अपीलांट के नाम 1/10 भाग व 1/10 भाग रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 के नाम स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 03.06.2015 के द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 79 वाके ग्राम जयसिंहपुरा दिनांक 18.09.1974 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार बडौदामेव जिला अलवर को इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया कि मृतक भौलूराम पुत्र मूलाराम जाति जटिया निवासी ग्राम जयसिंहपुरा के विधि वारिसान की समुचित जांच कर विधि अनुसार पुनः इंतकाल निर्णित करे।

9. हम समझते है कि अपीलांट (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1) के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई थी जिसमें प्रथम आदेशिका दिनांक 11.03.2015 को अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटस को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये हैं। दिनांक 25.05.2015 की आदेशिका के अनुसार पत्रावली पक्षकारान को सूचित कर लोक अदालत कैम्प में रखी गई। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में कही भी रेस्पोडेंटस संख्या 01 (वर्तमान अपीलांट) को सुनावई हेतु नोटिस जारी किया गया हो का अंकन नही है ना ही तामिली नोटिस संलग्न पत्रावली हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंटस (वर्तमान अपीलांटस) को बिना सुने एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांटस प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2015 से प्रभावित व हितबद्ध व्यक्ति हैं। अपीलांटस वादग्रस्त आराजी भूमि के खातेदार होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा प्रकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है।

10. अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलांटस् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित नामान्तकरण से प्रभावित समस्त पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

11. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

12/1/2022
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

12. निर्णय आज दिनांक 12.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/1/2022
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner